

महत्वपूर्ण

संख्या-५३७५/नौ-१-११-७१सा७२०१०

Received today  
25/11/11 - 4:00 PM

प्रेषक,

विपिन कुमार द्विवेदी  
विशेष सचिव  
उ०प्र०शासन।

सेवा में,

निदेशक

स्थानीय निकाय, उ०प्र०  
लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-१

लखनऊ: दिनांक: २४ नवम्बर, २०११

15218

विषय: उत्तर प्रदेश नगर निगम (स्थानों और पदों का आरक्षण एवं आवंटन) (छठवां संशोधन) नियमावली, २०११ तथा उत्तर प्रदेश नगरपालिका (स्थानों और पदों का आरक्षण एवं आवंटन) (छठवां संशोधन) नियमावली, २०११ का प्रख्यापन।

महोदय,

AB. II

25/11/11

उपर्युक्त विषयक उत्तर प्रदेश नगर निगम (स्थानों और पदों का आरक्षण एवं आवंटन) (छठवां संशोधन) नियमावली, २०११ तथा उत्तर प्रदेश नगरपालिका (स्थानों और पदों का आरक्षण एवं आवंटन) (छठवां संशोधन) नियमावली, २०११ की हिन्दी एवं अंग्रेजी की प्रतियां आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दोनों नियमावलियों को अपने स्तर से समस्त नागर निकायों को तत्काल प्रेषित भी कराने का कष्ट करें।  
संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,

24.11.11

(विपिन कुमार द्विवेदी)  
विशेष सचिव।

संख्या: ५३७५ (१)/९.१.११, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

१. आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, उ०प्र० (पंचायत एवं स्थानीय निकाय) ३२ स्टेशन रोड़, लखनऊ।



उत्तर प्रदेश शासन  
नगर विकास अनुभाग-1  
संख्या-4348/9.1.11-70सा0/2011  
लखनऊ: दिनांक 24 नवम्बर, 2011

### अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, सन् 1904) की धारा 23 की उपधारा (2) और उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1959) की धारा-7 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा-540 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल उक्त अधिनियम 1959 की धारा 540 की उप-धारा (2) की अपेक्षानुसार सरकारी अधिसूचना संख्या : 1727/9.1.11-70सा/2011, दिनांक 26 सितम्बर, 2011 में प्रकाशित आदेश के अनुसरण में प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर विचार करने के पश्चात्, उत्तर प्रदेश नगर निगम (स्थानों और पदों का आरक्षण एवं आवंटन) नियमावली, 1994 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:

### उत्तर प्रदेश नगर निगम (स्थानों और पदों का आरक्षण एवं आवंटन) (छठवां संशोधन) नियमावली, 2011

संक्षिप्त नाम, लागू होना और प्रारम्भ

1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश नगर निगम (स्थानों और पदों का आरक्षण एवं आवंटन) (छठवां संशोधन) नियमावली, 2011 कही जायेगी।

(2) यह उत्तर प्रदेश में सभी नगर निगमों पर लागू होगी।

(3) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

### नियम-5 का संशोधन

2- उत्तर प्रदेश नगर निगम (स्थानों और पदों का आरक्षण एवं आवंटन) नियमावली, 1994 के नियम 5 में नीचे स्तम्भ-1 में दिए गए उप नियम-1 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उप नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

### स्तम्भ-1 विद्यमान उपनियम

(1) अन्य उपनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए नियम 4 के अधीन अवधारित स्थानों की संख्या किसी नगर निगम में, विभिन्न कक्षाओं को एतदपश्चात् उपबन्धित रीति से आवंटित की जायेगी:-

### स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित उपनियम

(1) अन्य उपनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए नियम 4 के अधीन अवधारित स्थानों की संख्या किसी नगर निगम में, विभिन्न कक्षाओं को एतदपश्चात् उपबन्धित रीति से आवंटित की जायेगी:-



2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क, उ०प्र०, लखनऊ।
5. निदेशक, पंचायती राज, उ०प्र०, लखनऊ।
6. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
7. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(विपिन कुमार द्विवेदी)  
विशेष सचिव।



(क) पहले नगर पालिका क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या के अनुसार नगर निगम के कक्षों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जायेगा और नियम 4 के उप नियम (2) के अधीन अनुसूचित जातियों की महिलाओं के लिए अवधारित स्थानों की संख्या को सम्मिलित करते हुए उक्त नियम के उप नियम (1) के अधीन अनुसूचित जातियों के लिए अवधारित स्थानों की संख्या को ऐसे कक्षों को जिनमें अनुसूचित जातियों की जनसंख्या नगर पालिका क्षेत्र में सबसे अधिक हो, आवंटित किया जायेगा और ऐसे कक्षों को जिनमें इस खण्ड के अधीन स्थान आवंटित किया गया है को अनुसूचित जाति की जनसंख्या के आरोही क्रम में पुनर्व्यवस्थित किया जायेगा और अनुसूचित जातियों की महिलाओं के लिए अवधारित स्थानों की संख्या पुनर्व्यवस्थित किये गये ऐसे कक्षों को पहले आवंटित की जायेगी।

परन्तु वह कक्ष, जिसमें किसी निर्वाचन में अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए स्थान आवंटित किया गया था उसके ठीक बाद वाले निर्वाचन में अनुसूचित जाति की महिलाओं को आवंटित नहीं किया जायेगा और ऐसे अगले कक्ष को आवंटित किया जायेगा जिसमें अनुसूचित जाति के लिए स्थान आरक्षित हों।

(ख) फिर उन कक्षों को छोड़कर जिन्हें खण्ड (क) के अधीन स्थान आवंटित किये गये हैं, कक्षों को नगर पालिका क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जायेगा और नियम 4 के उप नियम (2) के अधीन अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए अवधारित स्थानों की संख्या को सम्मिलित करते हुए उक्त नियम के उपनियम (1) के अधीन अनुसूचित जनजातियों के लिए अवधारित

(क) पहले नगर निगम क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या के अनुसार नगर निगम के कक्षों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जायेगा और नियम 4 के उप नियम (3) के अधीन अनुसूचित जातियों की महिलाओं के लिए अवधारित स्थानों की संख्या को सम्मिलित करते हुए उक्त नियम के उप नियम (1) के अधीन अनुसूचित जातियों के लिए अवधारित स्थानों की संख्या को ऐसे कक्षों को जिनमें अनुसूचित जातियों की जनसंख्या नगर निगम क्षेत्र में सबसे अधिक हो, आवंटित किया जायेगा।

परन्तु यह कि ऐसे कक्षों को पहले अनुसूचित जाति की महिलाओं को आवंटित किया जायेगा।

(ख) फिर उन कक्षों को छोड़कर जिन्हें खण्ड (क) के अधीन स्थान आवंटित किये गये हैं, कक्षों को नगर निगम क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जायेगा और नियम-4 के उप-नियम (3) के अधीन अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए अवधारित स्थानों की संख्या को सम्मिलित करते हुए उक्त नियम के उपनियम (1) के अधीन अनुसूचित जनजातियों के लिए अवधारित स्थानों की



स्थानों की संख्या को ऐसे कक्षों को जिनमें अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या नगर पालिका क्षेत्र में सबसे अधिक हो आवंटित किया जायेगा और ऐसे कक्षों जिनमें इस खण्ड के अधीन स्थान आवंटित किये गये थे, को अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के प्रतिशत के आरोही क्रम में पुनर्व्यवस्थित किया जायेगा और अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए अवधारित स्थानों की संख्या पुनर्व्यवस्थित किये गये ऐसे कक्षों को पहले आवंटित किया जायेगा :

परन्तु उस कक्ष को, जिसमें किसी निर्वाचन में अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए पहले स्थान आवंटित किया गया था, उसके ठीक बाद वाले निर्वाचन में अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को आवंटित नहीं किया जायेगा और ऐसे अगले कक्ष को आवंटित किया जायेगा जिसमें अनुसूचित जनजाति के लिए स्थान आरक्षित हों ;

(ग) फिर उन कक्षों को छोड़कर जिन्हें खण्ड (क) और (ख) के अधीन स्थान आवंटित किये गये हैं, कक्षों को नगर पालिका क्षेत्र में पिछड़े वर्गों की जनसंख्या के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जायेगा और नियम 4 के उप नियम (2) के अधीन पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए अवधारित स्थानों की संख्या को सम्मिलित करते हुए उक्त नियम के उपनियम (2) के अधीन पिछड़े वर्गों के लिए अवधारित स्थानों की संख्या को ऐसे कक्षों, जिनमें पिछड़े वर्गों की जनसंख्या नगर निगम क्षेत्र में सबसे अधिक हो, आवंटित किया जायेगा और ऐसे कक्षों को जिनमें इस खण्ड के अधीन स्थान आवंटित किये गये थे, को पिछड़े वर्गों की जनसंख्या के प्रतिशत के आरोही क्रम में पुनर्व्यवस्थित किया जायेगा और पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए अवधारित स्थानों की संख्या को, पुनर्व्यवस्थित किये गये कक्षों को पहले

संख्या को ऐसे कक्षों को जिनमें अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या नगर निगम क्षेत्र में सबसे अधिक हो आवंटित किया जायेगा :  
परन्तु यह कि ऐसे कक्षों को पहले अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को आवंटित किया जायेगा ।

(ग) फिर उन कक्षों को छोड़कर जिन्हें खण्ड (क) और (ख) के अधीन स्थान आवंटित किये गये हैं। कक्षों को नगर निगम क्षेत्र में पिछड़े वर्गों की जनसंख्या के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जायेगा और नियम 4 के उप नियम (3) के अधीन पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए अवधारित स्थानों की संख्या को सम्मिलित करते हुए उक्त नियम के उपनियम (2) के अधीन पिछड़े वर्गों के लिए अवधारित स्थानों की संख्या को ऐसे कक्षों, जिनमें पिछड़े वर्गों की जनसंख्या नगर निगम क्षेत्र में सबसे अधिक हो आवंटित किया जायेगा:

परन्तु यह कि ऐसे कक्षों को पहले पिछड़े वर्ग की महिलाओं को आवंटित किया जायेगा ।



आवंटित किया जायेगा:

परन्तु वह कक्ष, जिसमें किसी निर्वाचन में पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए स्थान आवंटित किया गया था उसके ठीक बाद वाले निर्वाचन में पिछड़े वर्गों की महिलाओं को आवंटित नहीं किया जायेगा और ऐसे अगले कक्ष को आवंटित किया जायेगा जिसमें पिछड़े वर्गों के लिए स्थान आरक्षित हों ;

(घ) उन कक्षों को छोड़कर जिन्हें खण्ड (क), (ख) और (ग) के अधीन स्थान आवंटित किये गये हैं, कक्षों को नगर पालिका क्षेत्र में उनकी जनसंख्या के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जायगा और नियम 4 के उप नियम (2) के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए अवधारित स्थानों की संख्या को छोड़ते हुए उक्त नियम के उपनियम (3) के अधीन महिलाओं के लिए अवधारित स्थानों की संख्या को ऐसे कक्षों में पहले आवंटित किया जायेगा :

परन्तु वह कक्ष जिसमें इस खण्ड के अधीन किसी निर्वाचन में महिलाओं को स्थान आवंटित किया गया था उसके ठीक बाद वाले निर्वाचन में इस खण्ड के अधीन महिलाओं को नहीं आवंटित किया जायेगा और उसे अगले कक्ष को आवंटित किया जायेगा।

(घ) उन कक्षों को छोड़कर जिन्हें खण्ड (क), (ख) और (ग) के अधीन स्थान आवंटित किये गये हैं, कक्षों को नगर निगम क्षेत्र में उनकी जनसंख्या के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जायगा और नियम-4 के उप-नियम (3) के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए अवधारित स्थानों की संख्या को छोड़ते हुए उक्त नियम के उपनियम (4) के अधीन महिलाओं के लिए अवधारित स्थानों की संख्या को ऐसे कक्षों में पहले आवंटित किया जायेगा।

स्पष्टीकरण: इस उपनियम के खण्ड (क), (ख) और (ग) के प्रयोजनों के लिए कक्षों को इस रीति से आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जायेगा कि नगर निगम क्षेत्र में यथास्थिति अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या पिछड़े वर्गों के सबसे अधिक जनसंख्या वाले कक्ष को पहले रखा जायेगा और ऐसी अनुसूचित जातियों, जनजातियों या वर्गों की पहले कक्ष से कम जनसंख्या वाले कक्ष को उसके बाद रखा जायेगा और इसी प्रकार आगे भी और खण्ड (घ) के प्रयोजनों के लिए नगर निगम क्षेत्र में कक्षों की जनसंख्या को दृष्टिगत रखते हुए समान रीति से कक्षों को व्यवस्थित किया जायेगा।



**UTTAR PRADESH SHASAN  
NAGAR VIKAS ANUBHAG-1**

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 4348 /9-1-2011-70SA/2011, dated November 24, 2011.

No. 4348/9-1-2011-70SA/2011  
Dated Lucknow: November 24, 2011

In exercise of the powers under section 540 read with section 7 of the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959 (U.P. Act no. 2 of 1959), and section (2) of section 23 of Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no. 1 of 1904), the Governor, after considering the objections and suggestions received in pursuance of order published in Government notification no. 1727 /9-1-2011-70SA/2011, dated September 26, 2011 as required under sub-section [2] of section 540 of the said Act of 1959, is pleased to make the following rules with a view to amending the the Uttar Pradesh Municipal Corporation (Reservation and Allotment of Seats and offices) Rules, 1994 :-

**THE UTTAR PRADESH MUNICIPAL CORPORATION  
(RESERVATION AND ALLOTMENT OF SEATS AND  
OFFICES)( SIXTH AMENDMENT) RULES, 2011**

Short title, application and  
commencement

1.(1) These rules may be call the Uttar Pradesh Municip Corporation (Reservation a Allotment of Seats and Office (Sixth Amendment) Rules. 20

(2) They shall be applicable to the Municipal Corporations Uttar Pradesh.

(3) They shall be come into for with effect from the date of the



publication in the Gazette.

### Amendment of rule-5

2. In the Uttar Pradesh Municipal Corporation (Reservation and Allotment of Seats and Offices) Rules, 1994 in rule-5 for sub rule (1) set out in column-I below, the sub-rule as set out in column-II, shall be substituted, namely :-

#### COLUMN-I

*Existing sub- rule*

#### COLUMN-II

*sub-rule as hereby substituted*

1["5. **Allotment of Seats.**-(1) Subject to the provisions of other sub- rules, the number of seats determined under Rule 4 shall be allotted to different wards in a Municipal Corporation in the manner hereinafter provided-

(a) the wards of the Municipal Corporation shall be first arranged in accordance with the population of the Scheduled Castes in the municipal area in descending order and the number of seats determined under sub-rule (1) of Rule 4 for the Scheduled Castes, including the number of seats determined under sub-rule (2) of the said rule for the women belonging to the Scheduled Castes, shall be allotted to such wards which have the

(1) Subject to the provisions of other sub- rules, the number of seats determined under rule 4 shall be allotted to different wards in a Municipal Corporation in the manner hereinafter provided-

(a) the wards of the Municipal Corporation shall be first arranged in accordance with the population of the Scheduled Castes in the municipal area in descending order and the number of seats determined under sub-rule (1) of rule 4 for the Scheduled Castes, including the number of seats determined under sub-rule (3) of the said rule for the women belonging to the Scheduled Castes, shall be allotted to such wards which have the largest population of the Scheduled Castes in the municipal area.



(ड) ऐसे कक्ष जिनमें किसी निर्वाचन में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों अथवा महिलाओं को स्थान आवंटित किये गये थे, अगले होने वाले निर्वाचन में कमशः अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों अथवा महिलाओं को आवंटित नहीं किए जायेंगे और अनुवर्ती निर्वाचनों में कक्षों के स्थानों का आवंटन खण्ड (क), (ख), (ग) और (घ) में संदर्भित क्रमानुसार चक्रानुक्रम में किया जायेगा।

आज्ञा से,

( दुर्गा शंकर मिश्र )  
प्रमुख सचिव।



largest population of the Scheduled Castes in the municipal area and the wards to which the seats so allotted under this clause shall be rearranged in the ascending order of the population of the Scheduled Castes and the number of seats determined for the women belonging to the Scheduled Castes shall be first allotted to such wards so rearranged;

Provided that the ward wherein the seat allotted in any election to the women belonging to the Scheduled Castes shall not be allotted to the women belonging to the Scheduled Castes in the election immediately succeeding it and shall be allotted to the next ward having reserved seats for the Scheduled Castes:

(b) the wards, excluding those to which seats have been allotted under Clause (a), shall then be arranged in accordance with the population of the Scheduled Tribes in the municipal area in descending order and the number of seats determined under sub-rule (1) of Rule 4 for the Scheduled Tribes, including the number of seats determined under sub-

Provided that such wards shall be first allotted to the women belonging to the Scheduled Castes;

(b) the wards, excluding those to which seats have been allotted under clause (a), shall then be arranged in accordance with the population of the Scheduled Tribes in the municipal area in descending order and the number of seats determined under sub-rule (1) of rule 4 for the Scheduled Tribes, including the number of seats determined under sub-rule (3) of the said rule for the women, belonging to the Scheduled Tribes,



rule (2) of the said rule for the women, belonging to the Scheduled Tribes, shall be allotted to such wards which have the largest population of the Scheduled Tribes in the municipal area and the wards to which the seats so allotted under this clause shall be rearranged in the ascending order of the population of the Scheduled Tribes and the number of seats determined for the women belonging to the Scheduled Tribes shall be first allotted to such wards so rearranged:

Provided that the ward wherein the seat allotted in any election to the women belonging to the Scheduled Tribes shall not be allotted to the women belonging to the Scheduled Tribes in the election immediately succeeding it and shall be allotted to the next ward having reserved seats for the Scheduled Tribes:

(c) the wards, excluding those to which seats have been allotted under Clause (a) and (b), shall then be arranged in accordance with the population of the Backward Classes in the municipal area

shall be allotted to such wards which have the largest population of the Scheduled Tribes in the municipal area:

Provided that such wards shall be first allotted to the women belonging to the Scheduled Tribes;

(c) the wards, excluding those to which seats have been allotted under Clause (a) and (b), shall then be arranged in accordance with the population of the backward classes in the municipal area in descending order and the number



5.

in descending order and the number of seats determined under sub-rule (2) of Rule 4 for the Backward Classes, including the number of seats determined under sub-rule (2) of the said rule for the women, belonging to the Backward Classes, shall be allotted to such wards which have the largest population of the Backward Classes in the municipal area and the wards to which the seats so allotted under this clause shall be rearranged in the ascending order of the population of the Backward Classes and the number of seats determined for the women belonging to the Backward Classes shall be first allotted to such wards so rearranged:

Provided that the ward wherein the seat allotted in any election to the women belonging to the Backward Classes shall not be allotted to the women belonging to the Backward Classes in the election immediately succeeding it and shall be allotted to the next ward having reserved seats for the Backward Classes:

of seats determined under sub-rule (2) of Rule 4 for the backward classes, including the number of seats determined under sub-rule (3) of the said rule for the women, belonging to the backward classes, shall be allotted to such wards which have the largest population of the backward classes in the municipal area.

Provided that such wards shall be first allotted to the women belonging to the backward classes;

- (d) the wards, excluding those to which seats have
- (d) the wards, excluding those to which seats have been allotted under



been allotted under clauses (a), (b) and (c), shall then be arranged in accordance with the population of the wards in the municipal area in ascending order and the number of seats determined under sub-rule (3) of rule 4 for the women, excluding the number of seats determined under sub-rule (2) of the said rules for the women, belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and the Backward Classes, shall be first allotted in such wards;

Provided that the wards wherein the seat allotted in any election to the women under this clause shall not be allotted to the women under this clause in the election immediately succeeding it and shall be allotted in the next ward.

clauses (a), (b) and (c), shall then be arranged in accordance with the population of the wards in the municipal area in descending order and the number of seats determined under sub-rule (4) of rule 4 for the women, excluding the number of seats determined under sub-rule (3) of the said rules for the women, belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and the backward classes, shall be first allotted in such wards;


**Explanation:** - For the purposes of clause [a],[b] and [c] of this sub-rule, the arrangement of wards in descending order shall be done in the manner that the ward having the largest population of the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes or the backward classes, as the case may be, in the municipal area shall be placed first and ward having lesser population of Scheduled Castes, the Scheduled



Tribes or the backward classes than the first shall be placed next and so on and for the purposes of clause [d], the wards shall be arranged in the like manner keeping in view the population of the wards in the municipal area.

(e) The wards wherein the seat allotted in any election to the person belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the backward classes or the women shall not be allotted in the next following election respectively to the person belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the backward classes or the women and the seats to the wards in subsequent elections shall be allotted in cyclic order in the order referred to in clauses (a), (b), (c) and (d).

By Order



(Durga Shanker Mishra)  
Pramukh Sachiv.



उत्तर प्रदेश शासन

नगर विकास अनुभाग-1

संख्या-4349/9.1.11-71सा0/2011

लखनऊ: दिनांक 24, नवम्बर, 2011

### अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, सन् 1904) की धारा 23 की उपधारा (2) और उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2, सन् 1916) की धारा 9-क के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा-296 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल उक्त अधिनियम 1916 की धारा 300 की अपेक्षानुसार सरकारी अधिसूचना संख्या : 1728/9.1.11-71सा/2011, दिनांक 26 सितम्बर, 2011 में प्रकाशित आदेश के अनुसरण में प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर विचार करने के पश्चात्, उत्तर प्रदेश नगरपालिका (स्थानों और पदों का आरक्षण एवं आवंटन) नियमावली, 1994 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :

### उत्तर प्रदेश नगर पालिका (स्थानों और पदों का आरक्षण एवं आवंटन) (छठवां संशोधन) नियमावली, 2011

संक्षिप्त नाम, लागू होना और प्रारम्भ

1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश नगर पालिका (स्थानों और पदों का आरक्षण एवं आवंटन) (छठवां संशोधन) नियमावली, 2011 कही जायेगी।

(2) यह उत्तर प्रदेश में सभी नगर पालिकाओं पर लागू होगी।

(3) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

### नियम-5 का संशोधन

2- उत्तर प्रदेश नगर पालिका (स्थानों और पदों का आरक्षण एवं आवंटन) नियमावली, 1994 के नियम 5 में नीचे स्तम्भ-1 में दिए गए उप नियम-1 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उप नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

#### स्तम्भ-एक विद्यमान उपनियम

(1) अन्य उपनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए नियम 4 के अधीन अवधारित स्थानों की संख्या किसी नगर पालिका में, विभिन्न कक्षाओं को एतदपश्चात्

#### स्तम्भ-दो एतद्वारा प्रतिस्थापित उपनियम

(1) अन्य उपनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए नियम-4 के अधीन अवधारित स्थानों की संख्या किसी नगर पालिका में, विभिन्न कक्षाओं को एतदपश्चात्



उपबन्धित रीति से आवंटित की जायेगी:- उपबन्धित रीति से आवंटित की जायेगी:-

(क) पहले नगर पालिका क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या के अनुसार नगर पालिका के कक्षों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जायेगा और नियम 4 के उप नियम (2) के अधीन अनुसूचित जातियों की महिलाओं के लिए अवधारित स्थानों की संख्या को सम्मिलित करते हुए उक्त नियम के उप नियम (1) के अधीन अनुसूचित जातियों के लिए अवधारित स्थानों की संख्या को ऐसे कक्षों को जिनमें अनुसूचित जातियों की जनसंख्या नगर पालिका क्षेत्र में सबसे अधिक हो, आवंटित किया जायेगा और ऐसे कक्षों को जिनमें इस खण्ड के अधीन इस प्रकार आवंटित स्थानों को अनुसूचित जातियों की जनसंख्या के आरोही क्रम में पुनर्व्यवस्थित किया जायेगा और अनुसूचित जातियों की महिलाओं के लिए अवधारित स्थानों की संख्या पुनर्व्यवस्थित किये गये ऐसे कक्षों को पहले आवंटित की जायेगी :

परन्तु उस कक्ष को, जिसमें किसी निर्वाचन में अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए स्थान आवंटित किया गया था उसके ठीक बाद वाले निर्वाचन में अनुसूचित जाति की महिलाओं को आवंटित नहीं किया जायेगा और ऐसे अगले कक्ष को आवंटित किया जायेगा जिसमें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थान हों :

(ख) फिर उन कक्षों को छोड़कर जिन्हें खण्ड (क) के अधीन स्थान आवंटित किये गये हैं, कक्षों को नगर पालिका क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जायेगा और नियम 4 के उप नियम (2) के अधीन अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए अवधारित स्थानों की संख्या को सम्मिलित करते हुए उक्त नियम के उपनियम (1) के अधीन अनुसूचित जनजातियों के लिए अवधारित स्थानों की

(क) पहले नगर पालिका क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या के अनुसार नगर पालिका के कक्षों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जायेगा और नियम 4 के उप नियम (3) के अधीन अनुसूचित जातियों की महिलाओं के लिए अवधारित स्थानों की संख्या को सम्मिलित करते हुए उक्त नियम के उप नियम (1) के अधीन अनुसूचित जातियों के लिए अवधारित स्थानों की संख्या को ऐसे कक्षों को जिनमें अनुसूचित जातियों की जनसंख्या नगर पालिका क्षेत्र में सबसे अधिक हो, आवंटित किया जायेगा: परन्तु यह कि ऐसे कक्षों को पहले अनुसूचित जाति की महिलाओं को आवंटित किया जायेगा।

(ख) फिर उन कक्षों को छोड़कर जिन्हें खण्ड (क) के अधीन स्थान आवंटित किये गये हैं, कक्षों को नगर पालिका क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जायेगा और नियम 4 के उप नियम (3) के अधीन अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए अवधारित स्थानों की संख्या को सम्मिलित करते हुए उक्त नियम के उपनियम (1) के अधीन अनुसूचित जनजातियों के लिए अवधारित



संख्या को ऐसे कक्षों की जिनमें अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या नगर पालिका क्षेत्र में सबसे अधिक हो आवंटित किया जायेगा और ऐसे कक्षों जिनमें इस खण्ड के अधीन इस प्रकार आवंटित स्थान को अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के आरोही क्रम में पुनर्व्यवस्थित किया जायेगा और अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए अवधारित स्थानों की संख्या पुनर्व्यवस्थित किये गये ऐसे कक्षों को पहले आवंटित की जायेगी :

परन्तु उस कक्ष को, जिसमें किसी निर्वाचन में अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए स्थान आवंटित था उसके ठीक बाद वाले निर्वाचन में अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को आवंटित नहीं किये जायें और ऐसे अगले कक्ष को आवंटित किया जायेगा जिसमें अनुसूचित जनजाति के लिए स्थान आरक्षित हों :

(ग) फिर उन कक्षों को छोड़कर जिन्हें खण्ड (क) और (ख) के अधीन स्थान आवंटित किये गये हैं। कक्षों को नगर पालिका क्षेत्र में पिछड़े वर्गों की जनसंख्या के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जायेगा और नियम 4 के उप नियम (2) के अधीन पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए अवधारित स्थानों की संख्या को सम्मिलित करते हुए उक्त नियम के उपनियम (2) के अधीन पिछड़े वर्गों के लिए अवधारित स्थानों की संख्या को ऐसे कक्षों, जिनमें पिछड़े वर्गों की जनसंख्या नगर पालिका क्षेत्र में सबसे अधिक हो आवंटित किया जायेगा और ऐसे कक्षों को जिनमें इस खण्ड के अधीन इस प्रकार आवंटित स्थानों को पिछड़े वर्गों की महिलाओं की जनसंख्या के आरोही क्रम में पुनर्व्यवस्थित किया जायेगा और पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए अवधारित स्थानों की संख्या पुनर्व्यवस्थित किये गये ऐसे कक्षों को पहले आवंटित की जायेगी;

परन्तु उस कक्ष को, जिसमें किसी

स्थानों की संख्या को ऐसे कक्षों की जिनमें अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या नगर पालिका क्षेत्र में सबसे अधिक हो आवंटित किया जायेगा।

परन्तु यह कि ऐसे कक्षों को पहले अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को आवंटित किया जायेगा।

(ग) फिर उन कक्षों को छोड़कर जिन्हें खण्ड (क) और (ख) के अधीन स्थान आवंटित किये गये हैं। कक्षों को नगर पालिका क्षेत्र में पिछड़े वर्गों की जनसंख्या के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जायेगा और नियम 4 के उप नियम (3) के अधीन पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए अवधारित स्थानों की संख्या को सम्मिलित करते हुए उक्त नियम के उपनियम (2) के अधीन पिछड़े वर्गों के लिए अवधारित स्थानों की संख्या को ऐसे कक्षों, जिनमें पिछड़े वर्गों की जनसंख्या नगर पालिका क्षेत्र में सबसे अधिक हो आवंटित किया जायेगा:

परन्तु यह कि ऐसे कक्षों को पहले पिछड़े वर्गों की महिलाओं को आवंटित किया जायेगा।



निर्वाचन में पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए स्थान आवंटित था, उसके ठीक बाद वाले निर्वाचन में पिछड़े वर्गों की महिलाओं को आवंटित नहीं किया जायेगा और ऐसे अगले कक्ष को आवंटित किया जायेगा जिसमें पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित स्थान हों ;

(घ) उन कक्षों को छोड़कर जिन्हें खण्ड (क), (ख) और (ग) के अधीन स्थान आवंटित किये गये हैं, कक्षों को नगर पालिका क्षेत्र में उनकी जनसंख्या के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जायेगा और नियम 4 के उप नियम (2) के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए अवधारित स्थानों की संख्या को छोड़ते हुए उक्त नियम के उपनियम (3) के अधीन महिलाओं के लिए अवधारित स्थानों की संख्या को ऐसे कक्षों में पहले आवंटित किया जायेगा :

परन्तु उस कक्ष को जिसमें इस खण्ड के अधीन किसी निर्वाचन में महिलाओं को आवंटित स्थान था उसके ठीक बाद वाले निर्वाचन में इस खण्ड के अधीन महिलाओं को आवंटित नहीं किया जायेगा और उसे अगले कक्ष को आवंटित किया जायेगा।

**स्पष्टीकरण:** इस उपनियम के खण्ड (क), (ख) और (ग) के प्रयोजनों के लिए कक्षों को इस रीति से अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जायेगा कि नगर पालिका क्षेत्र में यथास्थिति अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या पिछड़े वर्गों के सबसे अधिक जनसंख्या वाले कक्ष को पहले रखा जायेगा और ऐसी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या पिछड़े वर्गों की पहले कक्ष से कम जनसंख्या वाले कक्ष को उसके बाद रखा जायेगा और इसी प्रकार आगे भी और खण्ड (घ) के प्रयोजनों के लिए नगर पालिका क्षेत्र में कक्षों की जनसंख्या को दृष्टिगत रखते हुए समान रीति से कक्षों को व्यवस्थित किया



जायेगा।

(ड) ऐसे कक्ष जिनमें किसी निर्वाचन में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों अथवा महिलाओं को स्थान आवंटित किये गये थे, अगले होने वाले निर्वाचन में कमशः अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों अथवा महिलाओं को आवंटित नहीं किए जायेंगे और अनुवर्ती निर्वाचनों में कक्षों के स्थानों का आवंटन खण्ड (क), (ख), (ग) और (घ) में संदर्भित क्रमानुसार चक्रानुक्रम में किया जायेगा।

आज्ञा से,

( दुर्गा शंकर मिश्र )  
प्रमुख सचिव।



**UTTAR PRADESH SHASAN  
NAGAR VIKAS ANUBHAG-1**

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 4349 /9-1-2011-70SA/2011, dated November 24, 2011.

**No. 4349 /9-1-2011-71SA/2011**  
**Dated Lucknow: November 24, 2011**

In exercise of the powers under section 296 read with section 9-A of the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 (U.P. Act no. 2 of 1916), and sub-section (2) of section 23 of Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no. 1 of 1904), the Governor, after considering the objections and suggestions received in pursuance of order published in Government notification no. 1728 /9-1-2011-71SA/2011, dated September 26, 2011 as required under section 300 of the said Act of 1916, is pleased to make the following rules with a view to amending the the Uttar Pradesh Municipalities (Reservation and Allotment of Seats and offices) Rules, 1994 :-

**THE UTTAR PRADESH MUNICIPALITIES (RESERVATION  
AND ALLOTMENT OF SEATS AND OFFICES)  
(SIXTH AMENDMENT) RULES 2011**

**Short title, application and  
commencement**

1.(1) These rules may be called the Uttar Pradesh Municipalities (Reservation and Allotment of Seats and Offices) (Sixth Amendment) Rules, 2011

(2) They shall be applicable to all the Municipalities in Uttar Pradesh.

(3) They shall be come into force



with effect from the date of their publication in the Gazette.

### Amendment of rule-5

2. In the Uttar Pradesh Municipalities (Reservation and Allotment of Seats and Offices) Rules, 1994 in rule-5 for sub rule (I) set out in column-1 below, the sub-rule as set out in column-II, shall be substituted, namely :-

#### COLUMN-I

##### *Existing sub- rule*

(1) Subject to the provisions of other sub- rules, the number of seats determined under Rule 4 shall be allotted to different wards in a Municipality in the manner hereinafter provided-

(a) the wards of the Municipality shall be first arranged in accordance with the population of the Scheduled Castes in the municipal area in descending order and the number of seats determined under sub-rule (1) of Rule 4 for the Scheduled Castes, including the number of seats determined under sub-rule (2) of the said rule for the women belonging to the Scheduled Castes, shall be allotted to such wards which have the largest population of the Scheduled Castes in the municipal area and the wards to which the seats so allotted under this clause shall be rearranged in

#### COLUMN-II

##### *Sub-rule as hereby substituted*

(1) Subject to the provisions of other sub- rules, the number of seats determined under rule 4 shall be allotted to different wards in a Municipality in the manner hereinafter provided-

(a) the wards of the Municipality shall be first arranged in accordance with the population of the Scheduled Castes in the municipal area in descending order and the number of seats determined under sub-rule (1) of rule 4 for the Scheduled Castes, including the number of seats determined under sub-rule (3) of the said rule for the women belonging to the Scheduled Castes, shall be allotted to such wards which have the largest population of the Scheduled Castes in the municipal area.

Provided that such wards shall be first allotted to the women belonging to the



the ascending order of the population of the Scheduled Castes and the number of seats determined for the women belonging to the Scheduled Castes shall be first allotted to such wards so rearranged;

Provided that the ward wherein the seat allotted in any election to the women belonging to the Scheduled Castes shall not be allotted to the women belonging to the Scheduled Castes in the election immediately succeeding it and shall be allotted to the next ward having reserved seats for the Scheduled Castes:

(b) the wards, excluding those to which seats have been allotted under Clause (a), shall then be arranged in accordance with the population of the Scheduled Tribes in the municipal area in descending order and the number of seats determined under sub-rule (1) of Rule 4 for the Scheduled Tribes, including the number of seats determined under sub-rule (2) of the said rule for the women, belonging to the Scheduled Tribes, shall be allotted to such wards which have the largest population of the Scheduled Tribes in the municipal area and the wards to which the seats so allotted under this clause shall be rearranged in

Scheduled Castes;

(b) the wards, excluding those to which seats have been allotted under clause (a), shall then be arranged in accordance with the population of the Scheduled Tribes in the municipal area in descending order and the number of seats determined under sub-rule (1) of rule 4 for the Scheduled Tribes, including the number of seats determined under sub-rule (3) of the said rule for the women, belonging to the Scheduled Tribes, shall be allotted to such wards which have the largest population of the Scheduled Tribes in the municipal area.

Provided that such wards shall be first allotted to the women



the ascending order of the population of the Scheduled Tribes and the number of seats determined for the women belonging to the Scheduled Tribes shall be first allotted to such wards so rearranged:

Provided that the ward wherein the seat allotted in any election to the women belonging to the Scheduled Tribes shall not be allotted to the women belonging to the Scheduled Tribes in the election immediately succeeding it and shall be allotted to the next ward having reserved seats for the Scheduled Tribes:

(c) the wards, excluding those to which seats have been allotted under Clause (a) and (b) shall then be arranged in accordance with the population of the Backward Classes in the municipal area in descending order and the number of seats determined under sub-rule (1) of rule 4 for the backward classes, including the number of seats determined under sub-rule (2) of the said rule for the women, belonging to the backward classes, shall be allotted to such wards which have the largest population of the backward classes in the municipal area and the wards to which the seats so allotted under this clause shall

belonging to the Scheduled Tribes;

(c) the wards, excluding those to which seats have been allotted under clause (a) and (b), shall then be arranged in accordance with the population of the backward classes in the municipal area in descending order and the number of seats determined under sub-rule (2) of rule 4 for the backward classes, including the number of seats determined under sub-rule (3) of the said rule for the women, belonging to the backward classes, shall be allotted to such wards which have the largest population of the backward classes in the municipal area.

Provided that such wards shall be first allotted to the women



be rearranged in the ascending order of the population of the Backward Classes and the number of seats determined for the women belonging to the Backward Classes shall be first allotted to such wards so rearranged:

Provided that the ward wherein the seat allotted in any election to the women belonging to the backward classes shall not be allotted to the women belonging to the backward classes in the election immediately succeeding it and shall be allotted to the next ward having reserved seats for the backward classes:

belonging to the Backward Classes;

(d) the wards, excluding those to which seats have been allotted under clauses (a), (b) and (c), shall then be arranged in accordance with the population of the wards in the municipal area in ascending order and the number of seats determined under sub-rule (3) of rule 4 for the women, excluding the number of seats determined under sub-rule (2) of the said rules for the women, belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and the Backward Classes, shall be first allotted in such wards;

Provided that the ward wherein the seat allotted in any

(d) the wards, excluding those to which seats have been allotted under clauses (a), (b) and (c), shall then be arranged in accordance with the population of the wards in the municipal area in descending order and the number of seats determined under sub-rule (4) of rule 4 for the women, excluding the number of seats determined under sub-rule (3) of the said rules for the women, belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and the backward classes, shall be first allotted in such wards;



election to the women under this clause shall not be allotted to the women under this clause in the election immediately succeeding it and shall be allotted in the next ward.

**Explanation:** - For the purposes of clause [a],[b] and [c] of this sub-rule, the arrangement of wards in descending order shall be done in the manner that the ward having the largest population of the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes or the backward classes, as the case may be, in the municipal area shall be placed first and ward having lesser population of Scheduled Castes, Scheduled Tribes or the backward classes than the first shall be placed next and so on and for the purposes of clause [d], the wards shall be arranged in the like manner keeping in view the population of the wards in the municipal area


(e) The wards wherein the seat allotted in any election to the person belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the backward classes or the women shall not be allotted in the next following election respectively to the person belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the backward classes or the women and the seats to the wards in subsequent elections



7

shall be allotted in cyclic order in  
the order referred to in clauses  
(a),(b), (c) and (d).

By Order



(Durga Shanker Mishra)  
Pramukh Sachiv.